LOK SABHA ELECTION 2019
DESH KA MAHA त्योहार

मतदाताओं के लिए

जानकारी एवं सहायता पुस्तिका

लोक सभा चुनाव 2019

चुनाव तिथि 00 / 00 / 0000

समय 00 / 00 / 00

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

भारत निर्वाचन आयोग

www.rajteachers.com

आप सामान्य मतदाता के रूप में पंजीकरण करवा सकते हैं, यदि आप :

☼ भारत के नागरिक हैं।

☼ 1 जनवरी 2019 को 18 वर्ष के हो चुके हैं।

☼ जहां आप पंजीकृत होना चाहते हैं, उस निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं।

☼ मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए अयोग्य नहीं हैं।

मतदाता सूची में कौन पंजीकृत नहीं हो सकता :

☼ जो भारत का नागरिक नहीं है।

☼ जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो और सक्षम न्यायालय द्वारा विक्षिप्त घोषित किया गया हो।

☼ जो भ्रष्ट आचरण और अन्य चुनाव अपराधों के लिए विधि के अंतर्गत मतदान करने के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

"कोई मतदाता न छूटे"

EPIC - मतदाता फोटो पहचान पत्र

अथवा वोटर कार्ड

फॉर्म 6 जमा करने के बाद, BLO आपके दस्तावेज़ों की पुष्टि के लिए आपके पते पर आएंगे।

अगर आप का आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो आपका मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) आपका BLO दे जायेंगे या आपको मतदाता केंद्र बुलाया जायेगा जहां आपको EPIC दिया जायेगा।

www.rajteachers.com

अपना बहुमूल्य मत कैसे डालें?

याद रखें- अगर आपका नाम मतदाता सूची मे नहीं है तो आप वोट नहीं डाल सकते।

मतदाता सूची में अपने नाम की जांच करें; मतदाता सूची आपके राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) की वेबसाइट एवं www.nvsp.in पर उपलब्ध है।

मतदाता सूची ERO के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

मतदान केन्द्र के अंदर मोबाइल फोन, कैमरा या किसी अन्य उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं है।

चुनाव के दिन छुट्टी दी जाती है ताकि प्रत्येक मतदाता अपना वोट डाल सके।

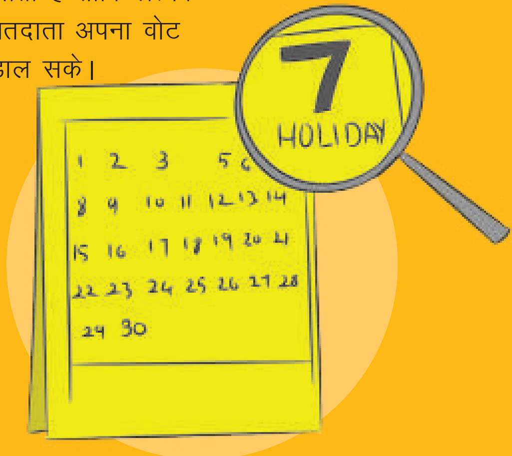

कतार में खड़े हों, अपना पहचान दस्तावेज़ और मतदाता पर्ची तैयार रखें।

प्रथम चुनाव अधिकारी- आपका नाम मतदाता सूची में देखेंगे और आपका पहचान पत्र देखेंगे।

दूसरा चुनाव अधिकारी- आपकी अंगुली पर स्याही लगाएंगे, आपको एक पर्ची देंगे और रजिस्टर में आपके हस्ताक्षर लेंगे।

तीसरा चुनाव अधिकारी- आपसे पर्ची लेंगे और आपकी स्याही लगी हुई अंगुली देखेंगे।

वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपनी पसंद के उम्मीदवार के चिह्न के सामने बटन दबाएं आपको एक बीप की आवाज सुनाई देगी। वीवीपैट द्वारा मुद्रित पर्ची को भी जांच लें।

ईवीएम में अंतिम बटन नोटा (इनमें से कोई नहीं) भी उपलब्ध है

ई.वी.एम. और वीवीपैट के उपयोग से अपना वोट कैसे दें ?

1 मतदान केन्द्र में प्रवेश करें

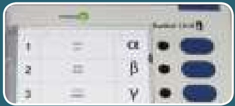

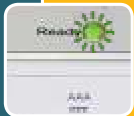

जब आप मतदान कक्ष में प्रवेश करेंगे तब पीठासीन अधिकारी बैलेट यूनिट को वोट डालने के लिए तैयार कर देगें।

2 अपना वोट दें

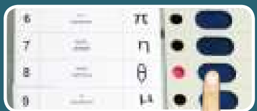

बैलेट यूनिट में अपने पसंद के प्रत्याशी के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को दबाएं।

3 लाइट को देखें

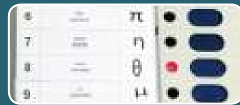

जिस प्रत्याशी को वोट दिया है उनके नाम/चुनाव चिन्ह के सामने वाली लाल लाइट जलेगी।

4 प्रिंट को देखें

प्रिंटर एक बैलेट पर्ची प्रिन्ट करेगा जिसमें पसंद के प्रत्याशी के क्रमांक, नाम और चुनाव चिन्ह अंकित होंगे।

नोट

अगर आपको बैलेट पर्ची नहीं दिखती है और बीप की आवाज़ सुनाई देती है तो कृपया पीठासीन अधिकारी से सम्पर्क करें।

मतदाता हेतु महत्वपूर्ण सूचना

1. वोट करने के लिए आपका नाम मतदाता सूची में होना आवश्यक है। मतदाता सूची में नाम ढूंढने हेतु विकल्प :

वेबसाईट देखें	1950 पर SMS भेजें	हेल्पलाईन पर फ़ोन करें	डाउनलोड करें
www...Fill by CEO Office...nic.in www.nvsp.in	ECI <space> <वोटर कार्ड नंबर>	1950	वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉयड ऐप

2. अपना पोलिंग स्टेशन ढूढ़ें :

वेवसाईट देखें	1950 पर SMS भेजें
www.nvsp.in www..nic.in DEO Website	ECIPS <space> <वोटर कार्ड नंबर>

3. अपने बी.एल.ओ. को जानें :

बी.एल.ओ. का नाम : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

बी.एल.ओ. का मोबाईल नंम्बर : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1950 पर SMS भेजें : ECICONTACT<space> <वोटर कार्ड नंबर>

4. वोटर आई कार्ड (EPIC) ना होनें की स्थिति में वैकल्पिक दस्तावेज :

1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेन्स
3. केन्द्र/राज्य सरकार/राज्य सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो सहित सेवा पहचान–पत्र
4. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटो सहित पासबुक
5. पैन कार्ड
6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अधीन भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
7. मनरेगा जॉब कार्ड
8. श्रम मंत्रालय की योजना के अधीन जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
9. फोटो सहित पेंशन दस्तावेज
10. एम पी/एम एल ए/एम एल सी को जारी शासकीय पहचान–पत्र
11. आधार कार्ड

"कोई मतदाता न छूटे"

www.rajteachers.com

मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधाएं

- ☞ रैंप, व्हीलचेयर और सहायताकर्मी उपलब्ध
- ☞ दृष्टि–बाधित मतदातों के लिए साथी का प्रावधान
- ☞ विकलांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरीयता
- ☞ ई. वी. एम. पर ब्रेल भाषा
- ☞ महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग कतार
- ☞ मतदान केंद्र में प्रत्येक पुरुष के बाद दो महिलाओं के अंदर जाने का प्रावधान
- ☞ निर्धारित जगहों पर केवल महिलाओं के लिए मत. दान केंद्र
- ☞ सभी मतदाताओं को फोटो वोटर स्लिप उपलब्ध कराना
- ☞ हर मतदान केंद्र पर सहायता बूथ
- ☞ प्राथमिक उपचार, पीने के पानी और शौचालय की व्यवस्था
- ☞ मतदाताओं के मार्गदर्शन के लिए संकेत
- ☞ विकलांगजन मतदाताओं के लिए आने– जाने की सुविधा
- ☞ विकलांगजनों के लिए कुछ चुनिंदा जगहों पर सहायक मतदान केंद्र
- ☞ ब्रेल में मतदाता पहचान पत्र

मतदाता सूची में पंजीकरण कराएं या अपना नाम जाचें – www.nvsp.in पर

facebook.com/ECI

youtube.com/ECI

www.eci.gov.in

सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)
भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड
नई दिल्ली – 110001
www.ecisveep.nic.in

1950 मतदाता हेल्पलाइन

www.rajteachers.com